दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा निर्माण और आवास मंत्रालय के पैनलों में अधिवक्ता

2921. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए, अलग-अलग श्रेणी-वार ऐसे कितने अधिवक्ता हैं जिनके नाम अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये गये हैं ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनको कितनी फीस दी गई ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) विधि मंत्रालय ने सूचित किया है कि निर्माण और आवास मंत्रालय के मामलों को निपटाने के लिये वकीलों का कोई अलग पैनल नहीं है । समस्त भारत संघ के मुकदमों को निपटाने के लिये उनके पास वकीलों का एक पैनल तथा उच्च न्यायालय में भी स्थाई परामर्शदाता का पैनल है ।

जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का सम्बन्ध है, जिसके पास वकीलों का अपना पैनल है, सूचना निम्न प्रकार है :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय के लिये उनके पास 11 वकीलों का एक पैनल है ।

(2) उच्च न्यायालय के लिये उनके पास एक स्थाई परामर्शदाता, चार मध्यस्थ परामर्शदाता तथा 12 अन्य वकीलों का एक पैनल है ।

(3) उच्चतम न्यायालय के लिये उनके पास रिकार्ड में एक अधिवक्ता है ।

(ख) 1–4–1982 से 31–3–1985 तक की अवधि के दौरान वकीलों की सेवाओं तथा व्यावसायिक प्रभारों के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय ने 10,056.87 रुपये की राशि खर्च की । इस अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वकीलों को फीस के रूप में 21.41 लाख रुपये की राशि खर्च की ।

श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं को दी जाने वाली फीस

2922. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं को अन्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस की तुलना में कम फीस दी जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों से उनकी फीस में संशोधन नहीं किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अपर्याप्त फीस के भुगतान के कारण अधिवक्ताओं में श्रम मामलों को देखने में अभिरुचि का अभाव रहता है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर "हां" हो, तो क्या उनका मंत्रालय अधिवक्ताओं की फीस में उचित वृद्धि करने का विचार रखता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) चूंकि अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिवक्ताओं को दी गई फीस की दरों के बारे में इस मंत्रालय को जानकारी नहीं है, इसलिए यह कहना कठिन है कि क्या हमारे द्वारा दी गई राशि अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई राशि से कम है ।

(ख) यह सच नहीं है कि अधिवक्ताओं को दी जाने वाली फीस में पिछले दस वर्षों से संशोधन नहीं किया गया है । वर्ष 1983 से पहले, अधिवक्ताओं को 50 रुपये तक प्रति मामला संकलित राशि का भुगतान किया जा रहा था । बाद में, अधिवक्ताओं की फीस में संशोधन करके प्रति मामला 75 रुपये कर दिया